

प्रेषक,

कुलदीप सिंह,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

श्रावस्ती, बस्ती, मेरठ, उन्नाव, ललितपुर, शामली, फतेहपुर एवं प्रयागराज।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 17-08-2026

विषय:- जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कमप्यूटर ऑपरेटर एवं अकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक हेतु ₹0 23,60,659/- की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के पत्र संख्या- 712/का0अनु0/08-आ0वि0/2026-27, दिनांक 06 अगस्त, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कमप्यूटर ऑपरेटर एवं अकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक हेतु उपलब्ध कराये गये विवरणानुसार कुल ₹0 23,60,659/- (₹0 तेईस लाख साठ हजार छः सौ उनसठ मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 10.04.2026 में प्राप्त अनुमोदन शासनोदेश सं0-741/एक-दस-2025 दिनांक 15.07.2025 एवं पत्र सं0-784/एक-10-2025 दिनांक 21.07.2025 के क्रम में जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कमप्यूटर ऑपरेटर एवं अकाउन्टेन्ट के पारिश्रमिक के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में ₹0 23,60,659/- (₹0 तेईस लाख साठ हजार छः सौ उनसठ मात्र) की धनराशि निम्न विवरण, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन तालिका में उल्लिखित जनपदों के जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखे जाने की श्रीराज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

क्र०	जनपद	पदनाम	वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु पारिश्रमिक	वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष माह के लम्बित पारिश्रमिक	कुल धनराशि (₹0 में)
01.	श्रावस्ती	लेखाकार (पारिश्रमिक ₹0 25,000/-)	₹0 25,000 X 01 माह = 25,000/-	मार्च, 2026 के अवशेष पारिश्रमिक के भुगतान हेतु।	69,000/-
		आपरेटर (पारिश्रमिक ₹0 22,000/-)	₹0 22000 X 01 माह = 22,000/-		
		आपरेटर (पारिश्रमिक ₹0 22,000/-)	₹0 22000 x 01 माह = 22,000/-		
02.	बस्ती	लेखाकार (पारिश्रमिक ₹0 25,000/-)	₹0 25,000 X 01 माह = 25,000/-	मार्च, 2026 के अवशेष पारिश्रमिक	69,000/-

				के भुगतान हेतु।	
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	रु0 22,000 X 01 माह 22,000/-		
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	रु0 22,000 X 01 माह 22,000/-		
03.	मेरठ	लेखाकार (पारिश्रमिक रु० 25,000/-)	रु0 25,000 X 01 माह = 25,000/-	मार्च, 2026 के अवशेष पारिश्रमिक के भुगतान एवं वित्तीय वर्ष 2026- 27 में 01 आपरेटर हेतु 11 माह के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु।	3,11,000/-
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	रु0 22,000 X 01 माह = 22,000/-		
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	रु० 22,000 x 01 माह = 22,000/-		
		माह मार्च, 2026 के उपरान्त 01 आपरेटर हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में 11 माह (01 अप्रैल, 2026 से 28 फरवरी, 2027) की बजट मांग प्रस्तावित है।	रु0 22,000 X 11 माह 2,42,000/-		
04.	उन्नाव	लेखाकार (पारिश्रमिक रु0 25,000/-)	रु0 24,056 x 11 माह= 2,64,616/-		7,30,334/-
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	रु0 21,169 X 11 माह= 2,32,859/-		
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	रु0 21,169 X 11 माह= 2,32,859/-		
05.	ललितपुर	लेखाकार (पारिश्रमिक रु0 25,000/-)	01 लेखाकार एवं 01 आपरेटर हेतु माह मार्च, 2026 का बजट	मार्च, 2026 के अवशेष पारिश्रमिक के भुगतान हेतु।	44,770/-
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु0 22,000/-)	समर्पण किए जाने के सापेक्ष माह मार्च, 2026 के पारिश्रमिक भुगतान हेतु रु0 44,770/- की बजट मांग प्रस्तावित की गयी है।		
06.					5,17,000/-

	शामली	लेखाकार (पारिश्रमिक रु० 25,000/-)	रु० 25,000 X 11 माह = 2,75,000/-	-	
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु० 22,000/-)	रु० 22,000 X 11 माह= 2,42,000/-		
07.	फतेहपुर	आपरेटर (पारिश्रमिक रु० 22,000/-)	रु० 22,000 x 09 माह + 8,520/= 2,06,520/- (09 माह 12 दिवस)	-	4,11,620/-
		आपरेटर (पारिश्रमिक रु० 22,000/-)	रु० 22,000 X 09 माह + 7,100/- = 2,05,100/- (09 माह 10 दिवस)		
08.	प्रयागराज	आपरेटर (पारिश्रमिक रु० 22,000/-)	रु० 22,000 X 09 माह + 9,935/- = 2,07,935/-	-	2,07,935/-
कुल धनराशि					23,60,659/-
(रु० तेईस लाख साठ हजार छः सौ उनसठ मात्र)					

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

(1) जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सुदृढीकरण हेतु जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर्स के संचालन हेतु तैनात कार्मिकों के संबंध में निर्गत शासनादेश के अनुरूप कार्य कराया जाये और संबंधित कार्मिक की उपस्थिति एवं कार्यो का मूल्यांकन, पर्यवेक्षण संबंधित जनपदों के जिलाधिकारियों द्वारा किया जाये तथा शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में यदि शिथिलता बरती जाती है, तो इसके लिए सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(2) जिस मद में धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाय।

(3) जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर के संचालन हेतु जनपद में तैनात लेखाकार एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पारिश्रमिक हेतु धनराशि का आहरण प्रत्येक माह ही किया जाय।

(4) व्यय की गई धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तान्कन कराया जायेगा और महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वितीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर- 359-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(6) वित्तीय स्वीकृति विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2026 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013- रा0-11, दिनांक 04 मार्च, 2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है, तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2027 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाईन दिनांक 12.01.2022 एवं 22.04.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 23,60,659/- (रू0 तेईस लाख साठ हजार छः सौ उनसठ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-51 लेखाशीर्षक 2245058000611 स्टेट डिजास्टर रिसपान्स फण्ड से सामान्य व्यय 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
KULDEEP SINGH
Date: 17-08-2026
14:44:46
(कुलदीप सिंह)
उप सचिव।

संख्या- 972(1)एक-10-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ आडिट प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- राहत आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित, मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 6- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-वजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 7- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ0प्र0।
- 8- सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
SUSHIL KUMAR
Date: 17-08-2026
15:26:49

(सुशील कुमार)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-18/08/2026

प्रेषण संख्या:-
आवंटन आदेश संख्या:-
अनुदान संख्या:-
लेखाशीर्षक:-

80
001-972
51 राजस्व विभाग (द्वै विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेतर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	मेरठ-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	311000 7718000	311000 7718000
2	फतेहपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	411620 5581620	411620 5581620
3	प्रयागराज-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	207935 6987935	207935 6987935
4	बस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	69000 6308000	69000 6308000
5	उन्नाव-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	730334 7319334	730334 7319334
6	ललितपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	44770 4921770	44770 4921770
7	श्रावस्ती-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	69000 5358000	69000 5358000
8	शामली-4217-जिलाधिकारी, --01--	वर्तमान प्रणामी	517000 5687266	517000 5687266
	योग	वर्तमान प्रणामी	2360659 49881925	2360659 49881925

रूपया तेइस लाख साठ हजार छः सौ उनसठ
रूपया चार करोड़ अठानवे लाख इक्यासी हजार नौ सौ पच्चीस

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-
महायोग- (प्रणामी आवंटन):-

(अरविन्द कुमार सिंह)